प्रस्तावना

31 मार्च 2012 को अंत हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य प्राप्तियों, जिनमें मूल्यवर्द्धित कर/बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ और खनन प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं, की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2011-12 में अभिलेखों की, की गयी नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये मामलों में से कुछ मामलों के साथ उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में तो आये पर पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।